

85/C

21

(भारत के राजपत्र के अन्तर्गत खण्ड 3 (i) में प्रकाशनार्थ)

सं० के- 20014/S/2007-डीडी 11 ए

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 19 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि.सं०----- दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान)नियम, 1981, के नियम 2(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है:-

भूमि की श्रेणी

2010-11 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)

1. सीजीएचएस के लिए भूमि

9396.00 रु०

2. वैकल्पिक भूखण्ड

7559.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)

3. डीडीए आवासीय स्कीम

(क) एसएफएस

9396.00 रु०

(ख) एमआईजी

7830.00 रु०

(ग) एलआईजी

4698.00 रु०

(घ) ईडब्ल्यूएस

3132.00 रु०

(फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)

4. जे.जे. स्क्वेटर्स (पुनर्वास)

68.90. लाख रु० प्रति एकड़

(आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रभावी हैं।

राहुल रणबीर सिंह

(राहुल रणबीर सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली-110064